

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
क्रमांक:प 8 (ड)( )विधि/मनो/डीएलबी/21/3101

दिनांक २५-६-२०२१

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए नगर परिषद् में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सदस्य मनोनीत करती है:-

नाम निकाय	क्र.सं.	प्रस्तावित नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नं.	श्रेणी
नगर परिषद् बूंदी	1.	श्री हेमराज मीणा	श्री नन्द लाल मीणा	गैस गोदाम के पास, माटून्दा रोड, बूंदी	9928062451	दिव्यांग
	2.	श्री गणेश लाल सेन	श्री गोविन्द सेन	21, 22 जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड बूंदी	9929754315	
	3.	श्रीमती कीर्ति सुखवाल	श्री लोकेश सुखवाल	धाभाईयों का चौक बूंदी	9214595335	
	4.	श्री जितेन्द्र मीणा	श्री सन्त कुमार	314, बालाजी के सामने, माटून्दा रोड, तिराहे के पास, बूंदी	9460940150	
	5.	श्री अर्जुन डाबोडिया	श्री रामपाल	प्रकाश राईस मिल की गली, बाईपास रोड, बूंदी	8503004657	
	6.	श्री भेरू लाल	श्री कल्याण लाल	नरू की बावडी के पास, बूंदी	9950590369	
	7.	श्री शोकत अली	श्री मोहम्मद अली	महावरी कॉलोनी		
	8.	श्री राजीव लोचन गौतम	श्री मोहन लाल गौतम	मकान नं. 525, गेट नं. 5 रजत कॉलोनी वार्ड नं. 52 बूंदी	9887210098	

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)( )बो.प्र/डीएलबी/21/3102 - 3115  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 24-6-2021

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बूंदी।
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग कोटा।
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. आयुक्त नगर परिषद बूंदी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी